

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के सेटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, राय पुनः 21 (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत आदिवासी विकास
खंड: वो. 4/4 जनपद ए. दोर
..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
31/क. 21 (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
31/म. 24 (पिता/माता का नाम), निवासी
आदिवासी (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या 6703/520/12/5 (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:

राय पुनः 21
हस्ताक्षर मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
वि० ख० कार्यवाही (सम. दोर)